बिहार सरकार,
ऊर्जा विभाग ।
::अधिसूचना

अधिसूचना सं0–ऊर्जा–DDUGJY-01/2015- 05 पटना, दिनांक– 20/05/2015

ऊर्जा प्रक्षेत्र के सभी केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन, सतत अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु जन प्रतिनिधियों की सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी के मद्देनजर संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अ0स0पत्रांक–41/1/2015–RE के आलोक में बिहार राज्य के सभी जिलों में जिले के सबसे वरीयतम सांसद (लोक सभा) की अध्यक्षता में निम्नप्रकार से **जिला स्तरीय विद्युत समिति** (District Electricity Committee) गठित की जाती है:–

(i)	जिले के वरीयतम माननीय सांसद, –	अध्यक्ष
(ii)	अन्य माननीय सासंद–	उपाध्यक्ष
(iii)	जिला पदाधिकारी –	संयोजक(Convenor)
(iv)	जिला परिषद् के मा0 अध्यक्ष–	सदस्य
(v)	जिले के सभी माननीय सदस्य, बहार विधान सभा–	सदस्य
(vi)	जिले में कार्यरत केन्द्रीय उपक्रम के ऊर्जा–कोयला, एन0आर0ई0 मंत्रालय के वरीयतम प्रतिनिधि (यदि हों) ।	सदस्य
(vii)	संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के विद्युत आपूर्त्ति अंचल के विद्युत अधीक्षण अभियंता–	सदस्य–सचिव

उक्त समिति की बैठक तीन महीने में कम–से–कम एक बार अवश्य आहूत की जायेगी । समिति केन्द्र द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) एवं इन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS) के अन्तर्गत डी0पी0आर0 की तैयारी में अपेक्षित सहयोग एवं सुझाव देगी । इसके अतिरिक्त समिति विद्युत आपूर्त्ति/वितरण की गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि की समीक्षा करेगी । इसके अतिरिक्त उक्त समिति ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक सुझाव देगी ।

समिति की बैठक की तिथि एवं स्थान जिला पदाधिकारी–सह–संयोजक द्वारा तय की जायेगी । समिति की बैठक ससमय आहूत कराने एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन संबंधित नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/पावर फाइनान्स कम्पनी को भेजा जाना सदस्य सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह अधिसूचना निर्गत की तिथि प्रवृत्त माना जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विनोदा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– अधिसूचना सं0–ऊर्जा–DDUGJY-01/2015- 1431 पटना, दिनांक– 20/05/2015

प्रतिलिपि– बिहार के सभी माननीय सासद/बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्य/बिहार के सभी माननीय जिला परिषद् अध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०के सभी मुख्य विद्युत अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/5/15
(विनोदा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव ।